उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0,
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
U.P. RAJAYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.
(A U.P. GOVERNMENT UNDERTAKING)
8th Floor, Shakti Bhawan Extn, Lucknow.
Phone No.0522-2287838, Fax No.0522-2287191
UPRVUNL

पत्रांक 174/उ0नि0लि0/मु0म0प्र0(वित्त) दिनांकः 10 फरवरी, 2011

मुख्य अभियन्ता (स्तर I/II)
अनपरा/ओबरा/पारीछा/पनकी/हरदुआगंज तापीय परियोजना
उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0
अनपरा, ओबरा (सोनभद्र)/पारीछा (झांसी)/पनकी(कानपुर)/हरदुआगंज (अलीगढ़)।

विषयः <u>फर्म के आपूर्ति एवं कार्य सम्बन्धी बीजकों के संदर्भ में मापन एवं सत्यापन ससमय किये जाने विषयक।</u>

संज्ञान में आया है कि कतिपय खण्डों द्वारा आपूर्ति तथा कार्य सम्बन्धी अनुबन्धों के सम्बन्ध में फर्मों के बीजकों का मापन माप पुस्तिका (एम0बी0) में करने तथा सत्यापन करने में अत्याधिक विलम्ब कर किया जाता है। कभी कभी विलम्ब की यह अवधि तीन माह से भी अधिक हो जाती है। यह कार्य प्रणाली वित्तीय अनुशासन के प्रति उदासीनता का द्योतक होने के साथ ही बाह्य जगत में निगम की छवि पर विपरीत प्रभाव डालता है। दीर्घ अवधि में इसका परिणाम इस रूप में परिलक्षित होता है कि अच्छी प्रतिष्ठित फर्में भविष्य में या तो अपना ऑफर देने से इन्कार करने लगती है अथवा विलम्ब की इस अवधि के आकलन को समाहित करते हुये इसका वित्तीय प्रभाव दिये जाने वाले ऑफरों में दृष्टिगत होने लगता है। निसन्देह इससे अन्तोगत्वा दीर्घगामी विपरीत प्रभाव आता है।

सभी अधिकारियों का अनुशासित अधिकारी के रूप में यह उत्तदायित्व है कि निगम की छवि एवं प्रतिष्ठा वृद्धि हेतु सतत् प्रयास करते हुये निगम की कार्यविधियों को आर्थिक प्रगति की ओर अग्रसारित करायें। इस सन्दर्भ में निगम ज्ञाप सं0 173/उ0नि0लि0/मु0म0प्र0(वित्त) दिनांक 10.02.2011 के द्वारा निम्न आदेश किये गये हैं :-

"सम्बन्धित खण्डों द्वारा भुगतान एवं लेखा कार्यालय को बीजक सम्प्रेषण विलम्बित न हो जिसके सम्बन्ध में निम्न प्रकिया अपनायी जाये :-

(क) माप पुस्तिका (एम0बी0) में जिस क्रम में विभिन्न फर्मों की मैजरमेंट है उसी क्रम में बीजक भुगतान एवं लेखा कार्यालय को प्रेषित किया जाये। ऐसा कदापि न हो कि बाद में मैजरमेंट किया गया बीजक खण्ड द्वारा भुगतान एवं लेखा कार्यालय को पहले भेज दिया जाय तथा पहले मैजरमेंट किये हुए बीजक को बाद में भेजा जाए क्योंकि इससे प्राथमिकता क्रम दूषित हो जायेगा।

(ख) माप पंजिका में दर्शित माप तिथि (Measurement Date) के 10 दिन के अन्दर बीजक भुगतान एवं लेखा कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सम्बन्धित अधिशाषी अभियन्ता द्वारा सुनिश्चित किया जाय।

उक्त का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने का पूर्ण दायित्व सम्बन्धित खण्ड के अधिशाषी अभियन्ता का होगा। उक्त समयावधि में यदि 2 दिन से अधिक का विलम्ब है तो यह प्रकरण अधिशाषी अभियन्ता द्वारा सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता के संज्ञान में लाया जाय तथा यदि 5 दिन से अधिक का विलम्ब हे तो प्रकरण अधिशाषी अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता द्वारा परियोजना प्रमुख के संज्ञान में लाया जाय। भुगतान एवं लेखा कार्यालय द्वारा विलम्ब से प्राप्त हुए बीजकों का साप्ताहिक विवरण परियोजना प्रमुख को प्रस्तुत किया जाय।

(ग) बीजक पर फर्म द्वारा बैंक का नाम एवं बैंक खाता संख्या लिखना अनिवार्य होगा तथा एम0बी0 में भी इसे दर्शित किया जायेगा। कतिपय विशेष कारणों से यदि ऐसा किया जाना सम्भव नहीं है तो सम्बन्धित खण्ड के अधिशाषी अभियन्ता द्वारा इन कारणों का बीजक पर हस्ताक्षरित विवरण अंकित किया जायेगा।"

उक्त आदेशों से अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों को भिज्ञ कराने का कष्ट करें तथा आदेश का नैष्ठिक अनुपालन करायें। इस सम्बन्ध में परियोजना प्रमुख स्तर से अनुश्रवण किया जाये। साथ ही परियोजना प्रमुख द्वारा संलग्न प्रारूप में प्रमाण-पत्र निगम ज्ञाप सं0 173 दिनांक 10.2.2011 में संलग्न प्रारूप में सूचना भेजते समय प्रत्येक माह की 5 तारीख को संलग्न कर प्रेषित की जाये।
संलग्नकः यथोपरि।

(आलोक टण्डन)
<u>अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक</u>

E:\Siddiqui\CF-DEC.-10.doc

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि माह में विभिन्न खण्डों द्वारा आपूर्ति तथा कार्य सम्बन्धी अनुबन्धों के सम्बन्ध में फर्मों के बीजक मापन एवं सत्यापन उपरान्त भेजने में निगम ज्ञाप सं0 173/उ0नि0लि0/मु0म0प्र0(वित्त) दिनांक 10.02.2011 में निर्धारित समय सीमा का परिपालन किया गया है/निम्न प्रकरणों को छोड़कर शेष सभी प्रकरणों में समय सीमा का परिपालन किया गया है :–

क्रम संख्या	खण्ड का नाम	फर्म का नाम	अनुबन्ध संख्या	बीजक की राशि	किस स्तर पर विलम्ब हुआ एवं विलम्ब की अवधि	विशेष
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

परियोजना प्रमुख

E:\Siddiqui\Priority Order.doc